T I

मु.नं. 54/2015 जगदीश बनाम रामेश्वर वगै.

26/9/17 प्रसाइडिंग आफीसर दौरे/अवकाश पर है। अतः अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 06/11/17 को पेश हो।

06/11/17 ...ला द्वारा आज ... स्थागित रखे जाने से पत्रावली ... आज्ञानुसार दिनांक 14/12/17 को पेश हो।

14/12/17 वा.क्र. उप०/ बहस हेतु समय चाहते है पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 25/01/18 को पेश हो।

25/01/18 ...ला द्वारा आज ... स्थागित रखे जाने से पत्रावली ... आज्ञानुसार दिनांक 12/3/18 को पेश हो।

12/3/18 वा.क्र. उप०/ बहस हेतु समय चाहते है पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 23/4/18 को पेश हो।

23/4/18 वा.क्र. उप०/ बहस हेतु समय चाहते है पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 07/6/18 को पेश हो।

07/6/18 आज यह पत्रावली न्याय आपके द्वार कैम्प कोर्ट ग्राम निवाणा में पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली काफी समय से बहस T.I. हेतु लम्बित चली आरही है प्रार्थीगण प्रा०पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शा० मि० किया गया। पत्रावली के नियम शुमार होकर दर्ज नम्बर ... साथ रहे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Seema Sharma
Date: 2021.07.07 16:47:42 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, चौमूं जयपुर
(न्याय आपके द्वार लोक अदालत/कैम्प कोर्ट ग्राम निवाणा)
पीठासीन अधिकारीः—सुश्री सीमा शर्मा (R.A.S.)

मुकदमा नम्बर :— 54/2015

उनवान

1. जगदीश पुत्र रामनिवास
2. कन्हैयालाल पुत्र हनुमानसहाय
3. सीताराम पुत्र ग्यारसीलाल

समस्त जाति कुम्हार, निवासी ग्राम निवाना, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

...प्रार्थीगण/वादीगण

बनाम

1. रामेश्वर पुत्र रुड़मल
2. रामस्वरुप पुत्र रुड़मल
3. रामावतार पुत्र रुड़मल
4. बाबूलाल पुत्र रुड़मल
5. आनन्दी देवी बेवा रुड़मल
6. अमरा उर्फ अमरचन्द पुत्र पूरा
   समस्त जाति कुम्हार, निवासी वेद्य की ढ़ाणी, ग्राम निवाना, तहसील चौमूं जिला जयपुर।
7. उप पंजीयक चौमूं, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
8. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार चौमूं, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

...अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण

<u>प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 रा0 टि0 एक्ट, ऑर्डर 39 रुल 1 व 2 व धारा 151 जा0 दीवानी</u>

<u>निर्णय</u>

दिनांकः—07.06.2018

प्रार्थीगण/वादीगण की ओर से उक्त प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया गया है कि प्रार्थीगण/वादीगण ने एक वाद बाबत तकासमा व स्थायी निषेधाज्ञा, उनवानी रामेश्वर वगै0 बनाम कमली देवी वगै0 के नाम से न्यायालय श्रीमानजी के समक्ष पेश कर रखा है। वाके ग्राम निवाना, तहसील चौमूं, जिला जयपुर में आराजी खसरा नं0 141, 419, 413 कुल किता 3 का कुल रकबा 4.36 है0, ख0नं0 420, 421, 409, 412 कुल किता 4 का रकबा 4.59 है0, ख0नं0 743, 754 कुल किता 2 का रकबा 0.29 है0, ख0नं0 415, 417, 418, 406 कुल किता 4 का रकबा 2.90 है0, ख0नं0 378, 380, 381, 384, 385, 388, 389, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 617, 731, 733, 736, 737, 741, 742, 745, 746, 756, [illegible] 25 का रकबा 8.03 है0, ख0नं0 1914, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, [illegible]8, 1970, 1971, 1972, 1973, 1981, 1984, 1985, 1986, 1987 कुल किता [illegible] 541 है0, ख0नं0 2053

Signature Not Verified
Digitally signed by Seema Sharma
Date: 2021.07.07 16:47:42 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
चौमूँ (जयपुर)

Scanned by CamScanner

लगायत 2062 कुल किता 10 का रकबा 1.91 है0, ख0नं0 555, 577, 615, 554 कुल किता 4 का रकबा 7.80 है0, ख0नं0 723, 724, 757 कुल किता 3 का रकबा 0.57 है0, ख0नं0 739, 744 कुल किता 2 का रकबा 1.15 है0, ख0नं0 752, 755 कुल किता 2 का रकबा 0.30 है0, ख0नं0 1964/2691 रकबा 0.02 है0, ख0नं0 738, 753, 735 कुल किता 3 का कुल रकबा 0.63 है0 एवं ख0नं0 749, 750, 751, 747 कुल किता 4 का रकबा 0.29 है0, ख0नं0 740, 748 कुल किता 2 का रकबा 0.28 है0 स्थित है, जिन भूमियों के बाबत तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का प्रकरण विचाराधीन है। उक्त भूमियों में से ही खसरा नं0 1914 रकबा 1.31 है0, खसरा नं0 1965 रकबा 0.91 है0 स्थित वाके ग्राम निवाना, तहसील चौमूं, जिला जयपुर में है। जिस पर प्रार्थीगण/वादीगण मनवट अनुसार काबिज काश्त चले आ रहे हैं तथा प्रार्थीगण/वादीगण ही निरन्तर उपयोग उपभोग करते आ रहे हैं। अप्रार्थी/प्रतिवादी सं0 1 ता 6 ने एक गिरोह बना रखा है तथा भूमाफियों से मिलीभगत कर रखी है तथा प्रार्थीगण/वादीगण को उनके कब्जे से बेदखल करने की बदनियती से उक्त आराजी ख0 नं0 1914, 1965 पर बिना कब्जा व बिना तकासमा के बैंक ऋण लेने व बाहरी व्यक्तियों को बेचान कर जबरन कब्जे से बेदखल करने की साजिश बना रखी है। दिनांक 09.08.2015 को अप्रार्थी सं0 1 ता 6 प्रार्थीगण/वादीगण की उक्त वर्णित कब्जे काश्त की भूमि पर आये व जबरन कब्जे से बेदखल करने की धमकी दी व कहा कि राजीखुशी यह जमीन छोड़कर अन्य जमीन पर काबिज हो जावें वरना अन्जाम अच्छा नहीं होगा। अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण सं0 1 ता 6 को कोई कानूनी हक अधिकार नहीं है कि वे तकासमा का वाद का निस्तारण हुए बिना प्रार्थीगण/वादीगण को उनकी कब्जे व मनवट बंटवारे की भूमि से बेदखल करें, उपयोग उपभोग में रुकावट करें या अन्य प्रकार बेचान, रहन करें। अतः प्रार्थीगण/वादीगण द्वारा यह अनुतोष चाहा गया है कि अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा इस कदर पाबन्द फरमाया जावे कि अप्रार्थी/प्रतिवादीगण सं0 1 ता 6 उक्त भूमि विवादग्रस्त वाके ग्राम निवाना, तहसील चौमूं, जिला जयपुर में स्थित खसरा नं0 1914, 1965 कुल किता 2 का रकबा 2.22 है0 पर बिना कब्जा व बिना तकासमा के किसी भी हक हिस्से का बेचान, हस्तान्तरण, रहन आदि नहीं करें, ना ही ऋण लेवें, ना ही उक्त भूमि में जबरन प्रवेश कर किसी भी प्रकार का निर्माण करें, ना ही प्रार्थीगण/वादीगण के उपयोग उपभोग में रुकावट करें, ना ही मौका स्थिति में किसी प्रकार से परिवर्तन करें, ना ही उक्त कार्य स्वयं करें, ना ही अपने एजेन्ट, सर्वेन्ट या वर्कमैन से करवायें।

अप्रार्थीगण सं0 1 ता 5 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया है जिसमें कथन किया गया है कि मन अप्रार्थीगण द्वारा किसी प्रकार का कोई गिरोह का गठन नहीं किया हुआ है तथा दिनांक 09.08.2015 को अथवा अन्य किसी दिवस मन अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण को उक्तानुसार कोई धमकी नहीं दी गई है। प्रार्थीगण ने उक्त प्रार्थना पत्र में मात्र दो खसरा न0 1914 व 1965 के बाबत ही अनुतोष चाहा है जबकि तकासमा के दावे के साथ संलग्न प्रार्थना पत्र में काश्तकारी अधि0 की धारा 212 के तहत सम्पूर्ण खसरा नम्बरान् बाबत [illegible] पत्र में अनुतोष चाहा जाना आवश्यक है न कि विशेष खसरा बाबत [illegible] मौके [illegible] कोई प्रार्थीगण का भूमि पर कब्जा है, इसलिये प्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र करना [illegible] नहीं है। प्रार्थीगण ने

Signature Not Verified
Digitally signed by Seema Sharma
Date: 2021.07.07 16:47:42 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
चौमूं (जयपुर)

Scanned by CamScanner

उक्त प्रार्थना पत्र मात्र मिन अप्रार्थीगण को हैरान व परेशान करने की गरज से झूठे एवं काल्पनिक तथ्यों पर प्रस्तुत किया है। प्रार्थीगण श्रीमान के समक्ष क्लीन हैण्ड से नहीं आये हैं। इसलिये भी प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थीगण का भूमि खसरा नं0 1914 रकबा 1.31 है0, खसरा नं0 1965 रकबा 0.91 है0 कुल किता 2 का रकबा 2.22 है0 भूमि स्थित ग्राम निवाना, तहसील चौमूं, जिला जयपुर पर कोई कब्जा काश्त नहीं है, ना ही मौके पर किसी प्रकार से प्रार्थीगण काबिज हैं, इसलिये अपूर्तनीय क्षति, प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का सन्तुलन के बिन्दु के अभाव में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र कतई चलने योग्य नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है।

पत्रावली आज न्याय आपके द्वार कैम्प कोर्ट ग्राम निवाणा में पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली काफी समय से बहस टी.आई. हेतु लम्बित चली आ रही है। प्रकरण से संबंधित पूर्व से विचाराधीन वाद तकासमा व स्थायी निषेधाज्ञा का है। प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र टी.आई. में पूर्व से विचाराधीन वाद में वर्णित भूमि सम्पूर्ण को विवादित नहीं बताकर केवल मात्र ख0नं0 1914 व 1965 के संबंध में अस्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा गया है। प्रार्थीगण विशेष' खसरा नं0 के बाबत अनुतोष प्राप्त नहीं कर सकता है। वाद तकासमा व स्थायी निषेधाज्ञा का होने से वाद में वर्णित सम्पूर्ण भूमि के बाबत ही अनुतोष प्राप्त किया जा सकता है, न कि किसी विशेष खसरा नम्बरान का। प्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र में अंकित केवल मात्र ख0नं0 1914 व 1965 के बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा मूल वाद के साथ रहे।

निर्णय आज दिनांक 07.06.2018 को न्याय आपके द्वार कैम्प कोर्ट ग्राम निवाणा में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
चौमूँ

Signature Not Verified

Digitally signed by Seema Sharma
Date: 2021.07.07 16:47:42 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner